भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 474

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

घाटल मास्टर प्लान

474. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान घाटल मास्टर प्लान के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान घाटल मास्टर प्लान के लिए कोई धनराशि जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): पश्चिम बंगाल की बाढ़ प्रबंधन परियोजना अर्थात पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वा मेदिनीपुर जिलों में घाटल मास्टर प्लान के चरण-I के कार्यों को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा 6 जून, 2018 को आयोजित 36वीं बैठक में विचार किया गया और 1238.95 करोड़ रुपए (वर्ष 2017 का मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत से इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को स्वीकार किया गया था। इसके उपरांत, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की निवेश स्वीकृति समिति की दिनांक 10.06.2022 को आयोजित 17वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर परियोजना को निवेश मंजूरी दे दी गई है।

(ख) से (घ): कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाओं को तैयार किया जाता है और उनका कार्यान्वयन किया जाता है। केन्द्र सरकार, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता भी प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने के लिए उक्त परियोजना को एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

*****